AADHAAR

DAINIK BHASKAR, Delhi, 9.8.2018

Page No. 1, Size:(4.33)cms X (8.53)cms.

आधार में जन्मतिथि में एक से ज्यादा बार बदलाव के लिए यूआईडीएआई जाना होगा

नई दिल्ली| आधार में जन्म की तारीख एक से ज्यादा बार बदलवानी है तो अब यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय जाना होगा। यूआईडीएआई के ताजा नोटिफिकेशन के मुताबिक आधार में केवल एक ही बार जन्म की तारीख बदली जा सकती है। हालांकि अब आधार में पता बदलवाना पहले से आसान होगा। जिन लोगों के पास मौजूदा निवास स्थान का कोई मान्य प्रमाण नहीं है। वह पते के सत्यापन के लिए पिन कोड वाले आधार पत्र के माध्यम से अनुरोध कर सकते हैं। पत्र में दिए पिन का इस्तेमाल कर ऑनलाइन पोर्टल पर आधार में दिए पते का बदलाव कर सकते हैं।